[2018] 7 एस. सी. आर 781

नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वी.

आय कर और ओआरएस के प्रमुख आयुक्त।

(सिविल अपील सं। 792-793 2014)

02 जुलाई, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - धारा 10 (20) (वित्त अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003)-अपीलार्थी-नोएडा, एक स्थानीय प्राधिकरण

या नहीं-अपीलार्थी-एन. ओ. आई. डी. ए. ने तर्क दिया कि यह एस. के स्पष्टीकरण के सी. एल. (ii) द्वारा कवर किया गया है। 10 (20) अधिनियम, 1961, जो "स्थानीय प्राधिकरण" अभिव्यक्ति को "नगरपालिका के रूप में परिभाषित करता है जैसा कि Art.243P (e) में संदर्भित है"-आयोजितः नगरपालिका की विशेष विशेषताएं जैसा कि भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों द्वारा विचार किया गया था, प्राधिकरण (NOIDA) में मौजूद नहीं कहा जा सकता है जैसा कि यू. पी. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की वैधानिक योजना द्वारा चित्रित किया गया था, जिसके तहत उक्त प्राधिकरण का गठन किया गया था-हालांकि प्राधिकरण द्वारा 1976 के अधिनियम के अनुसार विभिन्न नगरपालिका कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन केवल इसलिए कि कुछ नगरपालिका कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किए गए थे, यह नगर पालिका की आवश्यक विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है जो संविधान के भाग IXA द्वारा विचार किए गए हैं-अपीलकर्ता Art.243P के खंड (e) में "नगरपालिका" के शब्द/अभिव्यक्ति द्वारा कवर नहीं किया गया है-इस प्रकार, अपीलकर्ता स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि इसमें निहित है।

एस को स्पष्टीकरण। 10 (20) 1961 के अधिनियम-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 - धारा 3-भारत का संविधान-भाग IXA, Art.243P (e) वित्त अधिनियम, 2002।

भारत का संविधान-कला। 243 प्रश्न और 243 पी (ई)-Art.243Q के क्ल (आई) के परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल

दिनांक 24.12.2001 की अधिसूचना के अनुसार नोएडा को एक "औद्योगिक बस्ती" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है-क्या औद्योगिक बस्ती की बराबरी की जा सकती है नगरपालिका के साथ यू/Art.243P (ई)-- के रूप में परिभाषित किया गया हैः नहीं-अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य अनिवार्य आवश्यकता को कम करना है।

किसी राज्य में नगरपालिका के गठन की परिस्थितियों में जैसा कि परंतुक में उल्लेख किया गया है, लेकिन नगरपालिका के गठन से छूट का अर्थ यह नहीं है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान जो

एक औद्योगिक बस्ती को नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना कला में परिभाषित नगरपालिका के समान है। 243 पी (ई)।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 - धारा 3 (31)-संशोधन के बाद 'स्थानीय प्राधिकरण' शब्द को परिभाषित करने में अधिनियम, 1897 की प्रयोज्यता

(वित्त अधिनियम 2002) से आई. टी. अधिनियम, 1961-आयोजितः वित्त अधिनियम, 2002 से पहले आई. टी. अधिनियम के तहत 'स्थानीय प्राधिकरण' की कोई परिभाषा नहीं होने के कारण, एस. 3 (31) स्थानीय प्राधिकरण के विस्तार और अर्थ की व्याख्या करते हुए अधिनियम, 1897 को सेवा में लगाया गया था। 10 (20) अब इसमें स्थानीय प्राधिकरण की विस्तृत परिभाषा शामिल है, इस प्रकार, स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा एस में निहित है। 3 (31) अधिनियम, 1897 का धारा (2) अब लागू नहीं होगा-आयकर अधिनियम, 1961 का धारा (2)। 10 (20) (वित्त अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित)

क़ानूनों की व्याख्या पर चर्चा किए गए परंतुक सिद्धांतों की व्याख्या।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. अपीलार्थी-न्यू ओखला इंडस्ट्रियल

विकास प्राधिकरण का गठन धारा 3 के तहत किया गया है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976। इन अपीलों में एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20) के अर्थ के भीतर एक "स्थानीय प्राधिकरण" है। एस के लिए स्पष्टीकरण का सी. एल. (II)। 10 (20) आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया गया है कि "स्थानीय प्राधिकरण" शब्द का अर्थ है

" नगरपालिका जैसा कि अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट है

संविधान "। भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि संविधान ने स्वयं नगर पालिकाओं के गठन, नगर पालिकाओं की अवधि, प्राधिकरणों की शक्तियों और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों के लिए प्रावधान किया है। नगर पालिकाओं को स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में बनाया गया है। भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों द्वारा परिकल्पित नगर पालिका की विशेष विशेषताओं को प्राधिकरण में मौजूद नहीं कहा जा सकता है जैसा कि अधिनियम, 1976 की वैधानिक योजना द्वारा निरूपित किया गया है। यह सच है कि प्राधिकरण द्वारा अधिनियम, 1976 के अनुसार विभिन्न नगरपालिका कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन केवल तथ्य यह है कि कुछ

नगरपालिका कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किए गए थे, यह नए ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण v की आवश्यक विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है।

मुख्य आयुक्त। आय कर का

संविधान। अपीलार्थी अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में "नगरपालिका" के शब्द/अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकार, अपीलार्थी स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि इसमें निहित है। धारा 10 (20) का स्पष्टीकरण। [पारस 2,27 और 55] [785-एफ; 789-ई; 796-जी-एच; 797-ए-सी; 814-जी-एच]

2. अनुच्छेद 243Q के खंड (1) के परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा दिनांकित 24.12.2001 अधिसूचना जारी की गई थी और उक्त अपीलार्थी को निर्दिष्ट किया गया था - एक "औद्योगिक नगर" बनें। अनुच्छेद 243 क्यू के उपखंड (1) का परंतुक उन संवैधानिक प्रावधानों के लिए एक अपवाद है जो यह प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर निगम का गठन किया जाएगा। अपवाद इस परंतुक द्वारा कवर किया गया है कि जहां एक औद्योगिक बस्ती नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रही है, राज्यपाल क्षेत्र के आकार और नगरपालिका सेवाओं को ध्यान में रखते हुए या तो एक औद्योगिक द्वारा प्रदान की जा रही है या प्रस्तावित की जा रही है।

प्रतिष्ठान इसे एक औद्योगिक बस्ती के रूप में निर्दिष्ट करता है। 'औद्योगिक बस्ती' शब्दों का उपयोग नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के विपरीत किया गया है। अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य किसी राज्य में नगरपालिका के गठन की अनिवार्य आवश्यकता को उन परिस्थितियों में दूर करना है जैसा कि परंतुक में उल्लेख किया गया है लेकिन इससे छूट है। नगरपालिका के गठन का मतलब यह नहीं है कि औद्योगिक

जो प्रतिष्ठान एक औद्योगिक बस्ती को नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रहा है, वह अनुच्छेद 243 पी (ई) में परिभाषित नगरपालिका के समान है। अनुच्छेद 243 पी (ई) के तहत अनुच्छेद 243 क्यू के साथ पढ़ा जाने वाला शब्द स्पष्ट रूप से प्रत्येक राज्य में एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद या एक नगर पालिका के संविधान को संदर्भित करता है। निगम। इसके अलावा, परंतुक में "इस खंड के तहत एक नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता है" शब्दों का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि परंतुक में उपयोग किए गए शब्द "गठित नहीं किए जा सकते हैं" स्पष्ट रूप से निम्नलिखित हैं -

अनुच्छेद में उपयोग किए गए शब्द के साथ विरोधाभास 243 पी (ई) और अनुच्छेद 243 क्यू। इस प्रकार, अनुच्छेद 243Q (1) के प्रावधान के तहत 24.12.2001 दिनांकित अधिसूचना नगर पालिका के संविधान के समान नहीं है। [पैरा 23,30] [794-एफ; 800-बी-एफ]

कृषि उपज बाजार समिति, नरेला, दिल्ली बनाम। आयकर आयुक्त और एक अन्य (2008) 9 [2018] 7 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीसी 434 [2008] 12 एससीआर 387; आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम। भारत संघ और अन्य (2006) 5 एससीसी 100: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 757; अहमदाबाद शहर का किशनसिंह तोमर नगर निगम और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 352: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 454; एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम। वी. आर. पट्टाबिरमन और अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एस. सी. आर. 643; भारत संघ और अन्य बनाम। आर. सी. जैन और अन्य (1981) 2 एस. सी. सी. 308 [1999] 1 एस. सी. आर. 263 ए. वी. फर्नांडीज बनाम केरल राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 657; राजस्थान राज्य सहकारी कताई और जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड बनाम। आयकर उपायुक्त, जयपुर (2014) 11 एस. सी. सी. 672: [2014] 7 एस. सी. आर. 336; गुजरात राज्य और अन्य बनाम। एस्सार ऑयल लिमिटेड और

एक और (2012) 3 एससीसी 522: [2012] 2 एस. सी. आर. 1127; सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम। वीआर. पट्टाबिरामन और

अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एससीआर 643; गुजरात औद्योगिक विकास निगम बनाम। कमिश्नर

आयकर (1997) 7 एस. सी. सी. 17: [1999] 1 एस. सी. आर. 263; कृषि उत्पादन मंडी समिति बनाम। भारत संघ और

एक अन्य (2004) 267 आई. टी. आर. 460; कृषि उपज बाजार समिति बनाम। आय आयुक्त-कर (2006) 156 आई. टी. आर. 286-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 12 एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2006] 1 पूरक। एससीआर 757

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2006] 7 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1985] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[1999] 1 एससीआर 263

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

ए. आई. आर 1957 एस. सी. 657

[2014] 7 एससीआर 336

पैरा 43

संदर्भित किया गया है

[2012] 2 एससीआर 1127

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1985] 2 एससीआर 643

पैरा 50

संदर्भित किया गया है

[1999] 1 एससीआर 263

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

(2004) 267 आईटीआर 460

पैरा 52

संदर्भित किया गया है

(2006) 156 आईटीआर 286

संदर्भित किया गया है

पैरा 53 न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. मुख्य आयुक्त। आय कर का

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

792-793 2014 से।

2005 के लिखित कर सं. 1338 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांक 28.02.2011 के निर्णय और आदेश और सिविल विविध में दिनांकित 04.11.2011 के आदेश से। 2005 के लिखित कर No.1338 में आवेदन No.95157/2011 की समीक्षा करें।

राजन, सुश्री रूबल मैनी, संदीप चिलाना, महिंदर सिंह, आर. एस. सलुजा, प्रभु दयाल चिलाना, मोहम्मद। रायज़, नीतेश श्रीवास्तव, सार्क और एसोसिएट्स, एड. अपीलार्थी के लिए।

श्री के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, शेखर व्यास, अरिजीत प्रसाद, पी. के. मलिक, आर. पी. राव, एच. आर. राव, डी. एल. चिदानंद, आर. हरिशंकर,

श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. इन अपीलों द्वारा अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 1 के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 के तहत आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिसों के साथ-साथ समीक्षा आवेदन को खारिज करने वाले 2 के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी-न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) का गठन यू. पी. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1976" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के तहत दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा किया गया है। अधिनियम, 1976 को राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक और शहरी बस्ती के रूप में विकसित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम, 1976 के तहत अधिकारियों को विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं। अपीलार्थी को आयकर अधिनियम की धारा 142 दिनांक 28.07.1998 और 08.08.1998 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उक्त नोटिसों को चुनौती देने वाले अपीलार्थी ने यह तर्क देते हुए रिट याचिका दायर की कि अपीलार्थी एक स्थानीय प्राधिकारी है, इसलिए उसे धारा 10 (20) के तहत आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20ए) (इसके बाद "I.T.Act, 1961" के रूप में संदर्भित)। रिट याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 14.02.2000 पर अनुमति दी गई थी जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी है

एक स्थानीय निकाय। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह I.T.Act, 1961 की धारा 10 (20A) के तहत छूट के दायरे में आता है। डिवीजन बेंच ने हालांकि इस सवाल पर गौर नहीं किया कि क्या उसे भी धारा 10 (20) के तहत छूट दी गई है।

3. संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संसद ने संविधान के लिए प्रावधान करते हुए संविधान के भाग IXA को जोड़ा था।

नगर पालिकाओं से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के खंड (1) के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा दिनांक 24.12.2001 की एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से एक "औद्योगिक बस्ती" के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। आयकर सहायक आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 29.08.2005 का एक नोटिस जारी किया गया था।

निर्धारण वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर विवरणी। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि धारा 10 (20ए) डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003 को हटाने के बाद प्राधिकरण कर योग्य हो गया है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए धारा 142 (1) के तहत सूचना भी संलग्न की गई थी।

4. अलग-अलग बैंकों को अलग-अलग जानकारी के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे। अपीलार्थी ने अपने दिनांकित 20.09.2005 पत्र के माध्यम से जवाब दिया

29.08.2005 दिनांकित सूचना जिसमें कहा गया है कि यह एक स्थानीय प्राधिकरण है और छूट प्राप्त है

इसलिए धारा 142 के तहत आयकर से नोटिस वापस लिया जाए। आयकर अधिकारियों ने विभिन्न बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत आवश्यकतानुसार टीडीएस काटने और उसे केंद्र सरकार के खाते में भेजने के लिए भी नोटिस जारी किया।

5. अपीलार्थी ने आयकर अधिनियम की धारा 1 के तहत नोटिस को रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक रिट याचिका दायर की। अपीलार्थी अपीलार्थी के बैंकरों को धारा 131 के तहत जारी किए गए दिनांकित 31.08.2005 के नोटिस को भी चुनौती दी गई। धारा 194ए के तहत 21.09.2005 दिनांकित नोटिस को भी रद्द करने की मांग की गई थी। रिट याचिका को आयकर विभाग ने चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में एकमात्र सवाल का फैसला किया "क्या नया ओखला औद्योगिक

विकास प्राधिकरण (एन. ओ. आई. डी. ए.) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकरण है"। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कृषि उपज बाजार समिति, नरेला, दिल्ली बनाम आयकर आयुक्त और दूसरा, (2008) 9 एस. सी. सी. 434 और आदित्यपुर में इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया।

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारत संघ और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम।

मुख्य आयुक्त। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

I.T.Act, 1961 की धारा 10 (20) के अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं। परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, अपीलार्थी ने अपने बैंकरों को जारी किए गए नोटिस और नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया था

धारा 194 ए के तहत लेकिन उच्च न्यायालय ने उक्त मुद्दे का विज्ञापन नहीं किया। हम उपरोक्त मुद्दों पर विज्ञापन देने की कोई आवश्यकता नहीं पाते हैं, क्योंकि विभिन्न संबंधित बैंकों ने पहले ही इसे चुनौती देते हुए दीवानी अपील दायर कर दी है उच्च न्यायालय ने अपनी रिट याचिका में जो निर्णय दिया है, जिसे 2017 की एस. एल. पी. (सी) No.3168 से उत्पन्न सिविल अपीलों के एक समूह द्वारा अलग से चुनौती दी गई है-आयकर आयुक्त (टी. डी. एस.), कानपुर बनाम केनरा बैंक जहां हमने इस तारीख के अपने फैसले से उन मुद्दों पर विचार किया है और निर्णय लिया है। दिनांक 28.02.2011 की रिट याचिका को खारिज करने के बाद अपीलार्थी ने एक समीक्षा आवेदन दायर किया जिसे भी 04.11.2011 पर खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा 2014 के उन दो निर्णयों से व्यथित सिविल अपील Nos.792-793 दायर की गई है।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बलबीर सिंह और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के राधाकृष्णन को सुना है। राजस्व की ओर से पेश वकील। हमने विभिन्न बैंकों की ओर से उपस्थित विभिन्न विद्वान वकीलों को भी सुना है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका को खारिज करने के लिए इस न्यायालय के दोनों निर्णयों पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया

नरेला (ऊपर) एक ऐसा मामला था जिसमें यह न्यायालय कृषि उपज बाजार समिति की स्थिति से संबंधित था जो कृषि उपज बाजार समिति के समान नहीं था। अपीलार्थी अधिनियम, 1976 में निहित वैधानिक प्रावधानों को देखते हुए, ऐसे मामले पर निर्भरता गलत थी।

8. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सुरपा) में इस न्यायालय के फैसले के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय

अनिवार्य रूप से उपरोक्त मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के तहत छूट के संबंध में विचार किया है, जबकि अपीलार्थी अनुच्छेद 289 पर निर्भर नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अनुच्छेद 243 क्यू (1) (ए) के प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी की है, जिसके प्रावधान पर उपरोक्त दो मामलों में विचार नहीं किया गया था, इसलिए वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से निम्नलिखित से अलग है - उपरोक्त दो निर्णय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नगरपालिका सेवाएं प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही हैं, इसलिए यह एक स्थानीय प्राधिकरण है जो आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के लाभ का हकदार है। संवैधानिक [2018] 7 एस. सी. आर.

योजना में एक निकाय द्वारा भी नगरपालिका कार्यों के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है जो निर्वाचित नहीं हो सकता है और फिर भी नगरपालिका कार्यों को करता है। अनुच्छेद 243 क्यू में ऐसे प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है और अधिसूचना जारी करके ऐसे प्राधिकरण को मान्यता दी गई है, यह एक स्थानीय प्राधिकरण है और छूट के लाभ का हकदार है। औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए कोई निर्वाचित नगरपालिका मौजूद नहीं है और यह अपीलकर्ता है जिसे 12 वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरपालिका कार्यों का निर्वहन करने का काम सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 पी के तहत। अपीलार्थी न केवल एक कानून का निर्माण था, बल्कि उसे कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से आरोपित किया गया है।

नगरपालिका कार्यों सहित। अपीलार्थी एक स्थानीय निकाय है जिसके पास स्थानीय निधि है और इसके खातों का लेखा परीक्षण स्थानीय निधि खातों के परीक्षक द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी के पास कानून द्वारा केवल एक विकास प्राधिकरण के विपरीत कर लगाने का अधिकार भी है।

सरकार ताकि उन्हें विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित किए जा रहे कानूनों की अनिश्चितताओं पर न छोड़ा जाए। संसद का ध्यान केवल स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों पर केंद्रित था न कि नगरपालिका सेवाओं के पहलू पर और नगरपालिकाओं पर कानून औद्योगिक विकास प्राधिकरणों पर कानून की तुलना में एक अलग विधायी क्षेत्र में संचालित होते हैं। संविधान संशोधन के बाद दोनों यू. पी. नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 को संविधान के भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में संशोधित किया गया है, जबकि अधिनियम, 1976 में कोई संशोधन नहीं किया गया है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्राधिकरण को अनुच्छेद 243Q के अर्थ के भीतर कभी भी नगरपालिका के रूप में नहीं माना गया था। ऐसे कई कारक हैं जो संवैधानिक योजना के तहत नगरपालिका के पास होने चाहिए जो प्राधिकरण में अनुपस्थित हैं।

10. इसलिए, संविधान ने कभी भी औद्योगिक टाउनशिप को मान्यता नहीं दी

अनुच्छेद 243 क्यू के परंतुक में नगरपालिका के समतुल्य के रूप में संदर्भित। इसके अलावा, अनुच्छेद 243Q दिनांकित 24.12.2001 के प्रावधान के तहत अधिसूचना ही इंगित करती है कि उस क्षेत्र में कोई नगरपालिका का गठन नहीं किया गया है जिसमें अपीलार्थी काम करता था। प्राधिकरण स्पष्ट रूप से एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं है। वित्त अधिनियम, 2002 ने विशेष रूप से स्थानीय प्राधिकरण को परिभाषित करके स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा में पर्याप्त बदलाव किए और धारा 10 (20ए) को हटाकर, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पहले प्राप्त लाभ जिन्हें स्थानीय प्राधिकरणों के रूप में माना जाता था, उन्हें छीन लिया गया। धारा 10 की उप-धारा (20) के प्रावधान स्पष्ट हैं और प्रावधान का स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ लेते हुए, अपीलार्थी छूट का हकदार नहीं है; उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

11. बैंकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने भी गोद लिया है

समर्थन में राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

उनके इस तर्क के कि अपीलार्थी आई. टी. कर, 1961 की धारा 10 की उप-धारा (20) के अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकारी है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने विभिन्न बातों पर भरोसा किया है

इस न्यायालय के निर्णय जिनका पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों पर विचार करते समय उल्लेख किया जाएगा।

13. हमने विद्वानों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है

पक्षकारों के लिए परामर्श दिया और अभिलेखों का अवलोकन किया।

14. एकमात्र मुद्दा जिस पर इन अपीलों में विचार करने की आवश्यकता है

यह है कि क्या अपीलार्थी वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20) के अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकारी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, धारा 10 (20) के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है जो वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा इसके संशोधन से पहले और डब्ल्यू. ई. एफ. संशोधन के बाद मौजूद थे।

धारा 10 (20) द्वारा संशोधन से पहले

धारा 10 (20) द्वारा संशोधन के बाद वित्त अधिनियम, 2002

वित्त अधिनियम, 2002

स्थानीय प्राधिकारी की आय जो है

"आय से" शीर्ष के तहत प्रभार्य

गृह संपत्ति "", पूंजीगत लाभ "या

" अन्य स्रोतों से आय "या

उसके द्वारा किया जाने वाला व्यापार या व्यवसाय जो

उसके द्वारा किया जाने वाला व्यापार या व्यवसाय जो उत्पन्न होता है

वस्तु या सेवा [(पानी या सेवा नहीं)

बिजली) अपने अधिकार क्षेत्र में

क्षेत्र या पानी की आपूर्ति से या

अपने भीतर या बाहर बिजली

क्षेत्राधिकार क्षेत्र;

स्थानीय प्राधिकारी की आय जो है

"आय से" शीर्ष के तहत प्रभार्य

गृह संपत्ति "", पूंजीगत लाभ "या

" अन्य स्रोतों से आय "या

उसके द्वारा किया जाने वाला व्यापार या व्यवसाय जो

एक की आपूर्ति से उपार्जित या उत्पन्न होता है

वस्तु या सेवा [(पानी या सेवा नहीं)

बिजली) अपने अधिकार क्षेत्र में

क्षेत्र या पानी की आपूर्ति से या

अपने भीतर या बाहर बिजली

क्षेत्राधिकार क्षेत्र; [2018] 7 एस. सी. आर.

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

((ग) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, कानूनी रूप से हकदार, या द्वारा सौंपा गया

नियंत्रण या प्रबंधन के साथ सरकार

नगरपालिका या स्थानीय निधि; या

(iv) छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 389 में परिभाषित छावनी बोर्ड;

" 10 (20(क) गठित प्राधिकारी की कोई आय भारत में या तो के लिए अधिनियमित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत

धारा 10 (20ए): वित्त अधिनियम द्वारा छोड़ दिया गया,

2002 डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2002

आवास की आवश्यकता या नियोजन, विकास का उद्देश्य

या

नगरों, कस्बों और गाँवों का सुधार, या दोनों; "

15. संविधान के भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधान

संविधान 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा अंत:स्थापित भारत के संविधान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 243पी में परिभाषाएँ हैं। अनुच्छेद 243पी (ई) नगरपालिका को परिभाषित करता है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 243पी (ई) "नगरपालिका" का अर्थ है स्वयं की संस्था।

अनुच्छेद 2430 के तहत गठित सरकार;

16. अनुच्छेद 243Q नगरपालिकाओं के संविधान का प्रावधान करता है।

जिसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

" 2430. नगर पालिकाओं का संविधान। - (1) वहाँ होगा

प्रत्येक राज्य में गठित,

(क) एक नगर पंचायत (चाहे जो भी नाम से जानी जाए) संक्रमणकालीन क्षेत्र, अर्थात, एक से संक्रमण में एक क्षेत्र

शहरी क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र;

(ख) एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद; और (ग) एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम,

इस भाग के प्रावधानों के अनुसार: बशर्ते कि इस खंड के तहत एक नगर पालिका नहीं हो सकती है

राज्यपाल के रूप में ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके हिस्से में गठित

हो सकता है, टाइल क्षेत्र और नगरपालिका के आकार को ध्यान में रखते हुए

डब्ल्यू. ओ. के. एच. एल. ए. औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए प्रस्तावित सेवाएं।

उस क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान और ऐसे अन्य कारक

जैसा कि वह उचित समझे, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, एक निर्दिष्ट करें

औद्योगिक बस्ती। (2) इस अनुच्छेद में, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, एक छोटा शहरी क्षेत्र या एक बड़ा शहरी क्षेत्र का अर्थ है राज्यपाल के रूप में ऐसा क्षेत्र।

क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, घनत्व

वहाँ की आबादी का, स्थानीय लोगों के लिए उत्पन्न राजस्व प्रशासन, गैर में रोजगार का प्रतिशत

कृषि गतिविधियाँ, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य कारक जो वे उचित समझते हैं, के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं।

इस भाग के उद्देश्य "।

17. अनुच्छेद 243 आर नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है जो निम्नलिखित प्रभाव डालता है:

" 243 आर. नगर पालिकाओं की संरचना। - (1) खंड (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, नगर पालिका में सभी सीटें निम्नलिखित द्वारा भरी जाएंगी -

प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति

नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र और इस उद्देश्य के लिए

प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।

निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड के रूप में जाना जाएगा।

(2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उपबंध कर सकता है

(क) नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए

((i) विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति

नगरपालिका प्रशासन;

((ii) लोक सभा के सदस्य और सदस्य

राज्य की विधान सभा का प्रतिनिधित्व करना

निर्वाचन क्षेत्र जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल हैं - नगरपालिका क्षेत्र;

((ग) राज्य परिषद के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य पंजीकृत निर्वाचकगण।

टाइल नगरपालिका क्षेत्र के भीतर;

((iv) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष

अनुच्छेद 243S का खंड (5):

बशर्ते कि पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; [2018] 7 एस. सी. आर.

(ख) एक के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका

नगरपालिका "।

और प्रत्येक नगर पालिका के लिए एसटी और आरक्षित सीटों की संख्या। लेख 243 यू नगरपालिकाओं की अवधि के लिए उपखंड (1) में प्रावधान करता है कि प्रत्येक नगरपालिका, जब तक कि उस समय के लिए किसी भी कानून के तहत जल्द से जल्द भंग न हो जाए।

प्रभावी होने के कारण, यह अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच साल तक जारी रहेगा और अब नहीं।

19. अनुच्छेद जेड. एफ. में मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं को जारी रखने का प्रावधान है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 243 जेडएफ। मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता। इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी

संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में लागू नगर पालिकाओं से संबंधित कानून (74)

संशोधन) अधिनियम, 1992, जो इसके साथ असंगत है -

इस भाग के प्रावधान, किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक या एक वर्ष की समाप्ति तक लागू रहेंगे।

ऐसी शुरुआत, जो भी पहले हो:

बशर्ते कि तत्काल पहले से मौजूद सभी नगरपालिकाएँ

ऐसा प्रारंभ उनकी अवधि की समाप्ति तक जारी रहेगा, जब तक कि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, प्रत्येक सदन द्वारा उस प्रभाव के लिए पारित प्रस्ताव द्वारा जल्द ही भंग नहीं किया जाता है।

उस राज्य के विधानमंडल का "।

20. इस मुद्दे की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अधिनियम, 1976 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है। प्राधिकरण का गठन अधिसूचना दिनांक 17.04.1976 द्वारा किया गया है जो इसके तहत शक्तियों का प्रयोग करता है।

अधिनियम, 1976 की धारा 3। धारा 3 प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करती है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है जिसे बुलाया जाएगा (नाम

क्षेत्र का) औद्योगिक विकास प्राधिकरण, किसी के लिए औद्योगिक विकास क्षेत्र।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा। (3) प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) सचिव, सरकार, उत्तर प्रदेश, सदस्य

उद्योग विभाग या उसका मनोनीत व्यक्ति जो अध्यक्ष से नीचे नहीं है। संयुक्त सचिव-पदेन अधिकारी का पद। सदस्य सभापति

(ख) सचिव, सरकार, उत्तर प्रदेश, सदस्य

लोक निर्माण विभाग या उसका नामित व्यक्ति जो पद से नीचे न हो

संयुक्त सचिव का पूर्व-अधिकारी।

सदस्य

(ग) सचिव, सरकार, उत्तर प्रदेश, स्थानीय

सदस्य स्व-सरकार या उसका मनोनीत व्यक्ति जो पद से नीचे न हो

संयुक्त सचिव-पूर्व अधिकारी।

सदस्य

(घ) सचिव, सरकार, उत्तर प्रदेश, वित्त

सदस्य विभाग या उसका नामित व्यक्ति जो पद से नीचे न हो

संयुक्त सचिव-पूर्व अधिकारी।

(ङ) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास

सदस्य निगम-पूर्व अधिकारी।

(च) राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पाँच सदस्य

अधिसूचना द्वारा सदस्य।

सदस्य

सदस्य सचिव

(छ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। (5) बैठकों के संचालन की प्रक्रिया

प्राधिकरण वैसा होगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(6) प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी

में किसी भी रिक्ति या दोष के अस्तित्व का कारण

प्राधिकरण का गठन। 21. धारा 6 प्राधिकरण के कार्य के लिए प्रावधान करती है जो है

प्रभाव को कम करना:

" 6. (1) प्राधिकरण का उद्देश्य सुरक्षित करना होगा

औद्योगिक विकास क्षेत्र का नियोजित विकास।

(2) के उद्देश्यों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:

(ख) औद्योगिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना।

विकास क्षेत्र;

(ग) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उद्देश्यों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास करना;

((घ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करना।

आवासीय उद्देश्य;

(ई) सुविधाएं प्रदान करना;
(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय के लिए बिक्री या पट्टे या अन्यथा भूखंडों के माध्यम से भूमि का आवंटन और हस्तांतरण करना।

उद्देश्य;

(छ) भवनों के निर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना: और

(ज) उस उद्देश्य को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशेष स्थल या भूमि के भूखंड का उपयोग किया जाएगा, अर्थात् औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्य या ऐसे किसी अन्य निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए।

क्षेत्र "।

22. धारा 7 भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित है। धारा 8 संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। भवन का निर्माण। धारा 9 विनियमों के उल्लंघन में भवन के निर्माण पर प्रतिबंध से संबंधित है। धारा 10 आवश्यकता की शक्ति से संबंधित है।

स्थल या भवन का उचित रखरखाव। धारा 11 प्राधिकरण को कर लगाने का अधिकार देती है। यू. पी. शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 12 द्वारा कुछ प्रावधान लागू किए गए हैं।

अध्याय VII वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित है।

23. हम खंड के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.12.2001 पर भी ध्यान दे सकते हैं।

(1) अनुच्छेद 243 क। अधिसूचना इस प्रकार है:

" सूचना

No.6709/77-4-2001-56 भा/99

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के खंड (1) के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल,

न्यू ओखला औद्योगिक के आकार को ध्यान में रखते हुए

विकास क्षेत्र, जिसे सरकारी अधिसूचना No.4157-HI/W OKHLA औद्योगिक विकास प्राधिकरण v द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किया गया है।

HIEF COMMNR। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

XVIII-11, दिनांक 17 अप्रैल, 1976 और उस क्षेत्र में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही नगरपालिका सेवाएं, उक्त न्यू ओखला को निर्दिष्ट करने के लिए प्रसन्न हैं।

औद्योगिक विकास क्षेत्र आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक "औद्योगिक बस्ती" होगा।

आ

देशानुसार,

एसडी /

(अनूप

मिश्रा)

सचिव

'।

24. पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों से निपटा जा सकता है

दो सिरों के कारण:

ए. दिनांकित अधिसूचना के आधार पर प्राधिकरण की स्थिति

2.2001 अनुच्छेद 243 क्यू के खंड (1) के तहत जारी किया गया।

बी. क्या अपीलार्थी अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकारी है

धारा 10 उप-धारा (20) जैसा कि स्पष्टीकरण में समझाया गया है

एक अधिनियम, 2002।

(क) संविधान का भाग IXA: 25. संविधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

संशोधन अधिनियम, 1992 ने इसके उद्देश्य और उद्देश्य को संक्षेप में रेखांकित किया

च संविधान संशोधन लाया गया था। संविधान संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

“ उद्देश्यों और कारणों का विवरण

कई राज्यों में स्थानीय निकाय कमजोर और अप्रभावी हो गए हैं।

विफलता सहित कई कारणों से

नियमित रूप से चुनाव कराना, लंबे समय तक सत्र आयोजित करना और

शक्तियों और कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण। इसके परिणामस्वरूप,

शहरी स्थानीय निकाय प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं

स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयाँ। 2. इन अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है

यह आवश्यक है कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान

संविधान में विशेष रूप से [2018] 7 एस. सी. आर. के लिए शामिल।

को (क) कार्य और कराधान शक्तियाँ; और

((ग) अधिक्रमण के मामले में समय पर चुनाव सुनिश्चित करना; और ((iv) कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएँ।

26. शहर के किशनसिंह तोमर नगर निगम, अहमदाबाद एड अदर्स, 2006 (8) एस. सी. सी. 352 ने संविधान 74 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के उद्देश्य और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कहा:

" 12. यह ध्यान दिया जा सकता है कि भाग IX-A को संविधान (74) के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था।

संशोधन अधिनियम, 1992। इन्हें प्रस्तुत करने का उद्देश्य

प्रावधान यह था कि कई राज्यों में स्थानीय निकाय ठीक से काम नहीं कर रहे थे और समय पर चुनाव नहीं हो रहे थे और नामित निकाय लंबे समय तक जारी रहे।

चुनाव अनियमित थे और कई बार अनावश्यक थे।

देरी या स्थगित और निर्वाचित निकायों को किया गया था

राज्य अधिकारियों की सनक और इच्छाओं पर पर्याप्त औचित्य के बिना प्रतिस्थापित या निलंबित कर दिया गया। ये विचार तत्कालीन शहरी राज्य मंत्री ने व्यक्त किए थे

संविधान संशोधन पेश करते समय विकास

संसद के समक्ष विधेयक और इस प्रकार नए प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया ताकि संविधान में सही स्थान को बहाल किया जा सके।

स्थानीय निकायों के लिए राजनीतिक शासन। यह माना गया था

ऐसे निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक

और चुनावों का नियमित और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करना। में

संविधान में उद्देश्यों और कारणों का विवरण

शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित संशोधन विधेयक में कहा गया था:

27. भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों में स्वयं संविधान में नगर पालिकाओं के गठन, नगर पालिकाओं के गठन, प्राधिकरणों की शक्तियों और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। नगरपालिकाओं को जीवंत लोकतांत्रिक नए ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में बनाया गया है।

मुख्य आयुक्त। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

स्वशासन की इकाइयाँ। नगरपालिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नियमित चुनाव पर विचार करते हुए नगरपालिका की अवधि पांच साल के लिए प्रदान की गई थी। भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नगरपालिका की विशेष विशेषताओं पर विचार किया गया था। अधिनियम, 1976 की सांविधिक योजना के अनुसार प्राधिकरण में उपस्थित नहीं कहा जा सकता है। यह सच है कि प्राधिकरण द्वारा अधिनियम, 1976 के अनुसार विभिन्न नगरपालिका कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन केवल तथ्य यह हैं कि

कुछ नगरपालिका कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किए गए थे जो नगर पालिका की आवश्यक विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो संविधान के भाग IXA द्वारा विचार किए गए हैं। का मुख्य जोर

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क कि उच्च न्यायालय ने 24.12.2001 के तहत जारी अधिसूचना को स्वीकार नहीं किया है अनुच्छेद 243Q (1) के प्रावधान के अनुसार रिट याचिका को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे टिकाऊ नहीं हैं। इस प्रकार हमें अनुच्छेद 243 क्यू (1) के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसमें निर्दिष्ट औद्योगिक बस्ती के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए क्या उसमें उल्लिखित औद्योगिक बस्ती को अनुच्छेद 243 पी (ई) के तहत परिभाषित नगरपालिका के बराबर माना जा सकता है। अनुच्छेद 243 पी (ई) में प्रावधान है कि "नगरपालिका का अर्थ है अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था। क्या अपीलार्थी अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था है, इस मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए? अनुच्छेद 243 क्यू के उपखंड (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में इस भाग के प्रावधानों के अनुसार एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर निगम का गठन किया जाएगा। उपखंड (1) के परंतुक में प्रावधान है कि: बशर्ते कि इस खंड के तहत नगरपालिका का गठन ऐसे शहरी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है।

राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए प्रदान की जा रही या प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो वह सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उचित समझे, एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।

अनुच्छेद 243 क्यू के खंड (1) के तहत नगर पालिका का गठन शहरी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। परंतुक संविधान के लिए एक अपवाद है नगरपालिका, जैसा कि अनुच्छेद 243 क के उपखंड (1) द्वारा अनुध्यात है। नहीं।

परंतुक की अन्य व्याख्या संविधान योजना के अनुरूप है।

29. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य [2018] 7 एस. सी. आर. में एक परंतुक की वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर ध्यान दिया था।

आर. पट्टाबिरमन और अन्य, 1985 (1) एस. सी. सी. 591। इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 37 से 43 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 37. संक्षेप में, आम तौर पर, एक परंतुक का उद्देश्य अधिनियमित प्रावधान को सीमित करना है ताकि कुछ को छोड़कर जो

अन्यथा इसके भीतर या कुछ हद तक होता

अधिनियमन खंड को संशोधित करें। कभी-कभी एक प्रावधान हो सकता है

मुख्य प्रावधान में अंतर्निहित और एक अभिन्न अंग बन जाता है

ताकि यह स्वयं एक मूल प्रावधान के बराबर हो। 38. ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों के अलावा, इस न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी अवधि में समझाया और संक्षिप्त किया है

एक परंतुक के विभिन्न रंग, पहलू और तत्व। राजस्थान राज्य में v. लीला जैनएआईआर 1965 एससी 1296, निम्नलिखित

टिप्पणियाँ की गईं:

" जहाँ तक परंतुक के निर्माण के सामान्य सिद्धांत का संबंध है, यह व्यापक रूप से कहा गया है कि परंतुक का कार्य धारा के मुख्य भाग को सीमित करना और कुछ ऐसा बनाना है जो परंतुक के लिए परिचालन भाग के भीतर होता।

39. एस. टी. ओ. के मामले में, सर्कल-I, जबलपुर v. हनुमान प्रसाद,

ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 565, भार्गव, जे. ने इस प्रकार कहा:

" यह सर्वविदित है कि एक परंतुक को मुख्य रूप से उस मूल खंड के दायरे से बाहर निकालने के उद्देश्य से जोड़ा जाता है जिसमें क्या शामिल है और क्या शामिल है

विधायिका की इच्छाओं को बाहर रखा जाना चाहिए।

40. वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाम। आर. एस. झवेर, आकाशवाणी

1968 एस. सी. 59, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" आम तौर पर, यह सच है कि परंतुक धारा के मुख्य भाग के लिए एक अपवाद है; लेकिन यह माना जाता है कि असाधारण मामलों में एक परंतुक एक मूल हो सकता है।

स्वयं प्रावधान करें "।

41. द्वारका प्रसाद बनाम। द्वारका दास सराफ एयर 1975 एससी

1758 न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस प्रकार टिप्पणी की:

(एससीसी पीपी। 136-37 , पैरा 16,18)

" इस प्रस्तुतिकरण में कुछ वैधता है लेकिन यदि, एक निष्पक्ष निर्माण पर, प्रमुख प्रावधान एक परंतुक ओ. के. एच. एल. ए. औद्योगिक विकास प्राधिकरण v है।

COMMNR। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

इसे विस्तारित या सीमित नहीं कर सकते। कभी-कभी संभावित संदेहों को दूर करने के लिए, मामलों को स्पष्ट करने के लिए, अस्पष्ट किनारों को प्रकाश में लाने के लिए एक आशंकित ड्राफ्ट्समैन द्वारा एक परंतुक तैयार किया जाता है। यहाँ,

ऐसा मामला है।

*

यदि निर्माण का नियम प्रथम दृष्टया एक परंतुक है

इसके संचालन में विषय-वस्तु तक सीमित होना चाहिए

अधिनियमन खंड, हमने जो रुख अपनाया है वह सही है। परंतुक द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर अधिनियमित खंड का विस्तार करने के लिए, निर्माण के मौलिक नियम के खिलाफ पाप है कि एक परंतुक पर उस प्रमुख मामले के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह एक परंतुक के रूप में खड़ा है। एक परंतुक आम तौर पर एक परंतुक होता है, हालांकि सुनहरा नियम पूरे को पढ़ना है।

धारा, परंतुक सहित, इस तरह से कि वे

पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर प्रकाश डालें और परिणामस्वरूप एक

सामंजस्यपूर्ण निर्माण "।

2. हीरालाल रतनलाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 1973 (1) एस. सी. सी. 216,

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: [एससीसी पैरा 22,

224 : एस. सी. सी. (कर) पी. 315]

" आम तौर पर किसी धारा के लिए एक परंतुक का उद्देश्य एक

विशेष उपचार के लिए मुख्य खंड का हिस्सा। इससे मुख्य खंड का दायरा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि एक प्रावधान को परन्तुक कहा जाता है, यह वास्तव में एक अलग प्रावधान है।

प्रावधान और तथाकथित परंतुक में काफी हद तक

मुख्य खंड को बदल दिया। "

3. हमें इस पिंट पर अधिकारियों के बाद अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानूनी स्थिति स्पष्ट और स्पष्ट प्रतीत होती है।स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से स्थापित। संक्षेप में, एक परंतुक काम कर सकता है

आपके विभिन्न उद्देश्यः

(1) मुख्य से कुछ प्रावधानों को अर्हता प्राप्त करना या छोड़ना

अधिनियमः

(2) यह इरादे की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है।

अधिनियम को व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर जोर देकरः

(3) यह अधिनियम में ही इस तरह से अंतर्निहित हो सकता है कि वह अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन जाए और इस प्रकार मूल अधिनियम की अवधि और रंग प्राप्त कर सके; और (4) इसका उपयोग केवल एक वैकल्पिक परिशिष्ट के रूप में किया जा सकता है

वास्तविक को समझाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमन

वैधानिक प्रावधान का आशय "।

30. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित व्याख्या के नियमों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि परन्तुक संवैधानिक प्रावधानों के लिए एक अपवाद है जो

प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर निगम का गठन किया जाएगा। अपवाद इस परंतुक द्वारा कवर किया गया है कि जहां एक औद्योगिक टाउनशिप नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रही है, राज्यपाल क्षेत्र के आकार और नगरपालिका सेवाओं को ध्यान में रखते हुए या तो प्रदान की जा रही है या एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित है, इसे एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में निर्दिष्ट करता है। 'औद्योगिक बस्ती' शब्दों का उपयोग नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के विपरीत किया गया है। अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य अनिवार्य आवश्यकता को कम करना है -

परंतुक में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी राज्य में नगरपालिका के गठन का मतलब यह नहीं है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान जो एक औद्योगिक बस्ती को नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रहा है, वह अनुच्छेद 243 पी (ई) में परिभाषित नगरपालिका के समान है। हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 243 पी (ई) नगर पालिका को अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है, अनुच्छेद 243 पी (ई) के तहत अनुच्छेद 243 क्यू के साथ पढ़ा जाने वाला शब्द स्पष्ट रूप से प्रत्येक राज्य में एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद या एक नगर निगम के संविधान को संदर्भित करता है। इसके अलावा, परंतुक में "इस खंड के तहत एक नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता है" शब्दों का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि परंतुक में उपयोग किए गए शब्द "गठित नहीं किए जा सकते हैं" स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 243 पी (ई) और अनुच्छेद 243 क्यू में उपयोग किए गए शब्द के विपरीत हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 243 क्यू (1) के प्रावधान के तहत अधिसूचना नगर पालिका के संविधान के समान नहीं है। इस प्रकार, हम अपने दिमाग में स्पष्ट हैं कि अधिसूचना दिनांक 24.12.2001 के तहत निर्दिष्ट औद्योगिक टाउनशिप नगरपालिका के समान नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 243Q के तहत विचार किया गया है।

31. इस मोड़ पर, हम उन दो निर्णयों पर भी ध्यान दे सकते हैं जिन पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है और तीन और निर्णय जहां अनुच्छेद 243 क्यू विचार के लिए आया था। पहला निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (उपरोक्त)।

डब्ल्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण V. आई. ई. एफ. कम. एन. आर. आय कर [अशोक भूषण, जे.]आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था। पैराग्राफ में उन्होंने निर्णय दिया कि प्राधिकरण का गठन देखा गया था जो है

निम्नलिखित प्रभाव:

" 2. अपीलकर्ता प्राधिकरण का गठन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 के तहत किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए प्रावधान, के लिए उद्योगों और उनसे संबंधित मामलों को बढ़ावा देना। अपीलकर्ता प्राधिकरण एक निकाय है जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर है, जिसके पास अनुबंध करने के लिए चल और अचल दोनों संपत्तियों का अधिग्रहण करने, रखने और निपटान करने की शक्ति है, और उक्त नाम से मुकदमा करने या मुकदमा करने की शक्ति है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच अन्य निदेशक होते हैं। प्राधिकरण औद्योगिक के नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार है।

क्षेत्र के मास्टर प्लान की तैयारी और क्षेत्र में उद्योगों और उससे संबंधित अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देना। प्राधिकरण की अपनी स्थापना है।

जिसके लिए यह पूर्व के साथ नियम बनाने के लिए अधिकृत है

राज्य सरकार की मंजूरी। राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को नियोजित विकास, या औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव और इसकी सुविधाओं और उससे जुड़े मामलों से जुड़े किसी भी काम को सौंपने के लिए अधिकृत है। अधिनियम की धारा 7 प्राधिकरण को अपनी स्वयं की निधि बनाए रखने के लिए बाध्य करती है जिसमें प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त धन, अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, किराया, शुल्क, शुल्क और जुर्माना, सभी धन जमा किए जाएंगे।

प्राधिकरण द्वारा अपनी चल या अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त और वित्तीय और अन्य संस्थानों से ऋण के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन और राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित प्राधिकरण की किसी योजना या योजनाओं के निष्पादन के लिए डिबेंचर जारी किए जाते हैं। जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश नहीं देती, तब तक सभी धन

प्राधिकरण द्वारा प्राप्त धनराशि को उसकी निधियों में जमा किया जाएगा जो भारतीय स्टेट बैंक और/या एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास रखी जाएगी और जब भी आवश्यकता होगी तब निकाली जाएगी।

प्राधिकरण। "[2018] 7 एस. सी. आर.

32. यह पूछे जाने पर कि क्या आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र ऋण प्राधिकरण को वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित स्थानीय प्राधिकरण की धारा 10 (20) के अर्थ में शामिल किया गया था, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता प्राधिकरण 01.04.2003 के बाद के प्रावधानों के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता था। निम्नलिखित पैराग्राफ 6 और 7 में

आयोजित:

" 6. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत प्रभार्य स्थानीय प्राधिकरण की आय या

इसके द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय को पहले इसमें शामिल नहीं किया गया था प्राधिकरण की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करना। हालाँकि, संशोधन को ध्यान में रखते हुए, 1-4-2003 स्पष्टीकरण के प्रभाव से "स्थानीय प्राधिकरण" को केवल स्पष्टीकरण में गिने गए अधिकारियों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी जैसे प्राधिकरण शामिल नहीं हैं। साथ ही

समय धारा 10 (20-ए) जो किसी प्राधिकारी की आय से संबंधित है

भारत में किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत गठित

आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से, जो संशोधन से पहले कुल 105 की गणना में शामिल नहीं थे।

आय को छोड़ दिया गया था। नतीजतन, ऐसे प्राधिकारी को उप-धारा (20-ए) द्वारा प्रदान किया गया लाभ छीन लिया गया।

7. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय और आदेश में कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 10 (20-ए) को हटा दिया गया था और धारा 10 (20) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था, जिसमें धारा 10 (20) द्वारा विचारित "स्थानीय प्राधिकरणों" की गणना की गई थी, अपीलकर्ता प्राधिकरण उनके तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता था।

1-4-2003 के बाद प्रावधान। इसने आगे कहा कि अनुच्छेद 289 (1) के तहत छूट भी अपीलकर्ता प्राधिकरण के लिए उपलब्ध नहीं थी क्योंकि यह एक अलग कानूनी इकाई थी, और इसकी आय को राज्य की आय नहीं कहा जा सकता है ताकि छूट दी जा सके।

संघ कर से। उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय है -

इस अपील में आक्षेप किया गया।

33. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों में से एक यह भी थी कि अनुच्छेद 289 (1) के तहत छूट,लैंट-प्राधिकरण। उक्त निवेदन पर विचार किया गया और नकार दिया गया।

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. मुख्य आयुक्त। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

अनुच्छेद 289 (1) के तहत दावे को खारिज करने के अलावा, इस अदालत ने धारा 10 (20) को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ 13 में कहा है:

" 13. उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए यह स्पष्ट है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20-ए) द्वारा निर्धारिती को प्रदान किया गया लाभ स्पष्ट रूप से ले जाया गया। इसके अलावा, धारा 10 (20) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण "स्थानीय प्राधिकरणों" की गणना करता है जो इसमें निर्धारिती को शामिल नहीं करते हैं। इसलिए, हम निर्धारिती की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

34. वर्तमान मामले में हालांकि अनुच्छेद 289 के तहत छूट का दावा या प्रतिवाद नहीं किया गया था, लेकिन उपरोक्त निर्णय को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि न्यायालय ने संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003 के रूप में धारा 10 (20) पर भी ध्यान दिया है। हम, इस प्रकार, अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि उपरोक्त मामला वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं था और उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से भरोसा किया गया था।

35. दूसरा फैसला जिस पर उच्च न्यायालय भरोसा करता है, वह है कृषि उपज बाजार समिति, नरेला (ऊपर)। द.

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 के तहत कृषि उपज बाजार समिति का गठन किया गया था। सवाल यह उठा कि क्या कृषि बाजार समिति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के तहत एक "स्थानीय प्राधिकरण" है। उपरोक्त संदर्भ में यह देखा गया कि विभिन्न स्थानों पर सभी कृषि बाजार समितियों को आयकर से छूट मिल रही थी। धारा 10 (20) वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा इसके संशोधन से पहले डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003 सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (31) के तहत 'स्थानीय प्राधिकरण' की परिभाषा इस प्रकार है:

“ " स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ होगा एक नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, निकाय या बंदरगाह आयुक्त या अन्य प्राधिकरण जो कानूनी रूप से सरकार द्वारा नियंत्रण का हकदार है या उसे सौंपा गया है।

या नगरपालिका या स्थानीय निधि का प्रबंधन;

36. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने प्रावधानों पर विस्तार से ध्यान दिया

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के प्रावधान। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 (20) और धारा 3 (31) के स्पष्टीकरण में निहित स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा पर भी ध्यान दिया गया और चर्चा की गई। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य खंड अधिनियम में स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा

धारा 3 (31) के तहत धारा [2018] 7 एस. सी. आर. के संशोधन के बाद अब लागू नहीं है।

)) वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में निर्धारित किया गया था

ग्राफ 31 और 32:

31. उपरोक्त तुलनात्मक चार्ट से कुछ स्पष्ट विशेषताओं को समझा जा सकता है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (31) के तहत, "स्थानीय प्राधिकरण" को "ए" के अर्थ में परिभाषित किया गया था।

नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, बंदरगाह निकाय

आयुक्त या अन्य प्राधिकारी जो कानूनी रूप से हकदार हैं नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंधन। द.

1897 के अधिनियम की धारा 3 (31) में "अन्य प्राधिकरण" शब्दों को संसद द्वारा स्पष्टीकरण/परिभाषा में हटा दिया गया है। वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) में अंत:स्थापित खंड। इसलिए, हमारे विचार में, यह कहना सही नहीं होगा कि "स्थानीय" शब्द की पूरी परिभाषा

प्राधिकरण को 1897 के अधिनियम की धारा 3 (31) से शारीरिक रूप से हटा दिया गया है।

और 1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) के उक्त स्पष्टीकरण में संसद द्वारा शामिल किया गया। यह जानबूझकर चूक है

महत्वपूर्ण है।

32. यह ध्यान दिया जा सकता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने वित्त अधिनियम, 2002 से पहले यह विचार लिया था कि ए. एम. सी. (एस) एक "स्थानीय प्राधिकरण" है। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1961 के अधिनियम में "स्थानीय प्राधिकरण" शब्द की कोई परिभाषा नहीं थी। वे निर्णय मुख्य रूप से कार्यात्मक परीक्षणों पर आगे बढ़े जैसा कि में निर्धारित किया गया है।

आर. सी. जैन में पैरा 2 के माध्यम से इस न्यायालय का निर्णय। हम नीचे दिए गए पैरा 2 को उद्धृत करते हैं जो इस प्रकार है: (एससीसी पीपी। 311-12)

" 2. इसलिए, आइए हम सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (31) में 'स्थानीय प्राधिकरण' की परिभाषा पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी जांच को सीमित करें। एक उचित और सावधान

धारा 3 (31) की भाषा की जांच से पता चलता है कि एक प्राधिकरण, एक स्थानीय प्राधिकरण होने के लिए, एक नगर समिति, जिला बोर्ड या बंदरगाह आयुक्तों के निकाय के रूप में प्रकृति और चरित्र का होना चाहिए, इसलिए, कई,

यदि सभी नहीं, तो एक की विशिष्ट विशेषताओं और विशेषताओं में से

नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड या बंदरगाह निकाय

आयुक्त, लेकिन, एक आवश्यक विशेषता रखने वाले, अर्थात्, यह कानूनी रूप से हकदार है या सरकार द्वारा सौंपा गया है, एक नगरपालिका या स्थानीय के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए

कोष। फिर विशिष्ट विशेषताएँ क्या हैं और

विशेषताएँ, जिनमें से सभी या कई नगरपालिका समिति, डब्ल्यू. ओ. के. एच. एल. ए. औद्योगिक विकास प्राधिकरण v.

आई. ई. एफ. कम. एन. आर. आय कर [अशोक भूषण, जे.]

जिला बोर्ड या बंदरगाह आयुक्तों का निकाय कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण? सबसे पहले, निगम निकायों के रूप में अधिकारियों का अलग कानूनी अस्तित्व होना चाहिए। वे केवल सरकारी एजेंसियां नहीं होनी चाहिए बल्कि कानूनी रूप से होनी चाहिए।

स्वतंत्र इकाइयाँ। इसके बाद, उन्हें एक परिभाषित में कार्य करना चाहिए

क्षेत्र और सामान्य रूप से, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्षेत्र के निवासियों द्वारा चुना जाना चाहिए। इसके बाद, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ कुछ हद तक स्वायत्तता का आनंद लेना चाहिए।

स्वयं उनके द्वारा प्रशासित क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीति पर सवाल उठाते हैं। स्वायत्तता पूर्ण नहीं हो सकती है और निर्भरता की मात्रा काफी भिन्न हो सकती है, लेकिन स्वायत्तता का एक सराहनीय उपाय होना चाहिए। इसके बाद, उन्हें कानून द्वारा ऐसे सरकारी कार्यों और कर्तव्यों को सौंपा जाना चाहिए जो आमतौर पर नगर निकायों को सौंपे जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, पानी और सीवरेज, नगर योजना और विकास, सड़कों, बाजारों, जैसे इलाके के निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने से जुड़े कार्य।

परिवहन, समाज कल्याण सेवाएँ आदि। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्हें प्रदर्शन का काम सौंपा जा सकता है

नागरिक कर्तव्य और कार्य जो अन्यथा होंगे

सरकारी कर्तव्य और कार्य। अंत में, उनके पास अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और करों, दरों, शुल्कों या शुल्कों को लागू करके अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने की शक्ति होनी चाहिए। यह सरकार द्वारा प्रदान किए गए या उधार लेकर या अन्यथा प्राप्त किए गए धन के अतिरिक्त हो सकता है। जो आवश्यक है वह यह है कि निधि का नियंत्रण या प्रबंधन आवश्यक है।

अधिकार में निहित करें "।

37. न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि धारा 10 (20) के तहत स्पष्टीकरण एक विस्तृत परिभाषा और इस न्यायालय द्वारा किसी अन्य मामले में निर्धारित परीक्षण, अर्थात भारत संघ और अन्य बनाम। आर. सी. जैन और अन्य, (2) एस. सी. सी. 308, अब लागू नहीं हैं। पैराग्राफ 35 में निम्नलिखित

कहा गया:

" 35. एक और पहलू का उल्लेख करना आवश्यक है। आर. सी. जैन में "समान प्रकृति" के परीक्षण को "अन्य" शब्दों के रूप में अपनाया गया था।

प्राधिकरण "नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, बंदरगाह आयुक्तों का निकाय" शब्दों के बाद आया। इसलिए, धारा 3 (31) में "अन्य प्राधिकरण" शब्दों ने पहले के शब्दों, अर्थात् "नगरपालिका समिति, जिला [2018] 7 एस. सी. आर". से रंग ले लिया।

बोर्ड या बंदरगाह आयुक्तों का निकाय "। इस तरह से

कार्यात्मक परीक्षण आर. सी. जैन 2 में विकसित किया गया है। हालांकि, जैसा कि कहा गया है

इससे पहले, संसद ने अपने विधायी ज्ञान में 1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) के उक्त स्पष्टीकरण से "अन्य प्राधिकरण" शब्दों को हटा दिया है। धारा 10 (20) के उक्त स्पष्टीकरण में "स्थानीय प्राधिकरण" शब्द की परिभाषा दी गई है। यह एक

संपूर्ण परिभाषा। यह एक समावेशी परिभाषा नहीं है। "अन्य प्राधिकरण" शब्दों को उक्त में जगह नहीं मिलती है। स्पष्टीकरण। यहां तक कि, अपीलार्थी (ओं) के अनुसार, ए. एम. सी. (ओं) न तो नगरपालिका समिति है और न ही जिला बोर्ड और न ही

न नगरपालिका समिति और न ही पंचायत। इसलिए, हमारे विचार में आर. सी. जैन 2 में निर्धारित कार्यात्मक परीक्षण और निगमन का परीक्षण अब अनुभाग के स्पष्टीकरण पर लागू नहीं होता है।

10 (20) 1961 के अधिनियम का। इसलिए, हमारे विचार में आर. सी. जैन 2 में इस न्यायालय के निर्णय के बाद विभिन्न न्यायालयों के निर्णय

ए. एम. सी. (ओं) की स्थिति और चरित्र पर उच्च न्यायालय अब धारा 10 (20) के प्रावधानों पर लागू नहीं होते हैं।

उस उपखंड में स्पष्टीकरण/परिभाषा को सम्मिलित करना वित्त अधिनियम, 2002 की धारा।

39. इस संदर्भ में, हम सैज ग्राम पंचायत बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 1999 (2) एस. सी. सी. मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख करते हैं। 366. इस न्यायालय को उपरोक्त मामले में गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962, अनुच्छेद 243 क्यू और गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1963 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था।

40. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम के भाग IX और IXA से पूरी तरह से अलग क्षेत्र में कार्य करता है।

संविधान और गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961। फैसले के पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

" गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम एक में काम करता है

भाग IX और IX-A से पूरी तरह से अलग क्षेत्र

संविधान और गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 और

गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1962-बाद वाला

स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान, जबकि पूर्व

औद्योगिक विकास और व्यवस्था के लिए एक अधिनियम होने के नाते

किसी राज्य में उद्योगों की स्थापना और संगठन। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

v.

मुख्य आयुक्त। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

41. तथापि, यह सत्य है कि उपरोक्त मामले में यह न्यायालय वर्तमान मामले में उत्पन्न हुए मुद्दे से संबंधित नहीं था और

न्यायालय एक अलग विवाद से चिंतित था।

42. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिनियम, 1976 के तहत गठित प्राधिकरण, जिसके संबंध में अनुच्छेद 243 क्यू (1) के प्रावधान के तहत अधिसूचना दिनांकित है।

24.12.2001 यह भी जारी किया गया है जो अनुच्छेद 243 क्यू (1) के तहत गठित नगर पालिका के समान नहीं है।

ख. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20)

43. हम पहले ही देख चुके हैं कि वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है और धारा 10 (20ए) को हटा दिया गया है। वित्त अधिनियम, 2002 से पहले आई. टी. अधिनियम के तहत "स्थानीय प्राधिकरण" की कोई परिभाषा नहीं होने के कारण, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (31) के प्रावधानों को स्थानीय प्राधिकरण के विस्तार और अर्थ की व्याख्या करते हुए सेवा में लगाया गया था। स्पष्टीकरण में अब स्थानीय की विस्तृत परिभाषा शामिल है।

प्राधिकरण, सामान्य खंड अधिनियम, 1892 की धारा 3 (31) में निहित स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा अब लागू नहीं है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 इन शब्दों से शुरू होती है "इस अधिनियम में, और इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो। दी गई परिभाषा

धारा 3 (31) के तहत स्थानीय प्राधिकरण अब "अन्य सभी प्राधिकरण" अभिव्यक्ति के स्पष्ट लोप को देखते हुए क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करता है। इस न्यायालय ने पहले ही कृषि उपज बाजार समिति में कहा है,

नरेला (उपर्युक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (31) के तहत परिभाषा अब आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकरण की व्याख्या के लिए लागू नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वैधानिक व्याख्या के कुछ अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

राजकोषीय क़ानून। ए. वी. फर्नांडीस बनाम में यह न्यायालय। केरल राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 657 निम्नलिखित निर्धारित करता है:

" (29) इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजकोषीय कानूनों का अर्थ निकालने और कर के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्व का निर्धारण करने में किसी को कानून के सख्त अक्षर और केवल कानून की भावना या कानून के सार को ध्यान में रखना चाहिए। यदि राजस्व न्यायालय को संतुष्ट करता है कि

मामला सख्ती से कानून के प्रावधानों के भीतर आता है, तो विषय पर कर लगाया जा सकता है। यदि दूसरी ओर, मामला चार कोनों के भीतर नहीं आता है

कर कानून के प्रावधानों के अनुसार, [2018] 7 एस. सी. आर. द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है।

अनुमान या सादृश्य द्वारा या जांच करने की कोशिश करके

विधायिका के इरादे और इस बात पर विचार करके कि मामले का सार क्या था। इसलिए हमें अधिनियम के वास्तविक प्रावधानों और बनाए गए नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।

इससे पहले कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकें कि

अपीलार्थी बिक्री द्वारा तर्क दिए जाने के अनुसार मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था

कर प्राधिकरण।

44. राजस्थान में यह न्यायालय राज्य सहकारी कताई और

जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त, जयपुर, 2014 (11) एस. सी. सी. 672 ने फिर से दोहराया कि कर लगाने वाले कानूनों की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए और इस तथ्य को आगे बढ़ाते हुए कि कानूनी संस्थाओं के एक वर्ग को कुछ लाभ दिया जाता है जो अधिनियम में विशेष रूप से कहा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं की गई कानूनी संस्थाओं को भी वही लाभ मिलेगा। पैराग्राफ 23 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 23. हमारा यह भी विचार है कि सभी कर मामलों में किसी को भी कराधान क़ानून की सख्ती से व्याख्या करनी होगी। सिर्फ इसलिए कि एक

अधिनियम में विशेष रूप से कहा गया इसका मतलब यह नहीं है कि कानूनी अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं की गई संस्थाओं को भी वही लाभ मिलेगा। जैसा कि इस न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है, कराधान के मामलों में कोई समानता नहीं है। किसी ऐसे खंड को नहीं पढ़ा जा सकता है जिसके लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए,

हम विद्वान वकील की दलीलों से सहमत नहीं हैं। अपीलार्थी के लिए उपस्थित होना और हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं

खंड में कुछ ऐसा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

ऊपर उल्लिखित निर्णय इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि

हम यहाँ व्यक्त कर चुके हैं। 45. वित्त पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

अधिनियम, 2002। धारा 10 (20) और धारा 10 (20ए) दोनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं और पैराग्राफ 12.2 से 12.4 और 13.1 से 13.4 में निहित हैं।

अनुच्छेद 12.2। 12. 4 तक शीर्षक के तहतः कर योग्य बनने वाली कुछ स्थानीय प्राधिकरणों की आय निम्नलिखित प्रभाव से होती हैः

" 12.2 वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से यह छूट दी गई है -

निर्दिष्ट पंचायतों और नगर पालिकाओं तक ही सीमित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) और 243 (पी) (ई) में क्रमशः। नगरपालिका समितियाँ और जिला बोर्ड, कानूनी रूप से डब्ल्यू ओ. के. एच. एल. ए. औद्योगिक विकास प्राधिकरण v.

[EF COMMNR। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

नगरपालिका या स्थानीय निधि और छावनी के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा हकदार या सौंपा गया छावनी अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित बोर्ड,

1924 .

खंड बंदरगाह न्यासों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। 12.4 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष के संबंध में लागू होगा।

2003 2004 और बाद के मूल्यांकन वर्ष।

46. स्पष्टीकरण टिप्पणियों के आगे के अनुच्छेद 13.1 से 13.4 का शीर्षक था: " खंड (20ए) को हटाने पर मेरे लिए कर योग्य कुछ आवास बोर्डों आदि की आय नीचे दी गई है:

" 13.1 धारा 10 के खंड (20ए) में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत आवास बोर्डों या आवास की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित अन्य वैधानिक प्राधिकरणों की आय या

शहरों, कस्बों और कस्बों की योजना, विकास या सुधार

आवास प्राधिकरणों आदि के लिए पात्र नहीं होंगे दानदाताओं के हाथों में कटौती और इसके परिणामस्वरूप दान सूख सकता है। आवास प्राधिकरणों आदि को दान करने के लिए प्रोत्साहन जारी रखने के लिए धारा 80जी लागू की गई है।

संशोधन किया गया ताकि [2018] 7 एस. सी. आर. द्वारा भुगतान की गई राशि का 50 प्रतिशत प्रदान किया जा सके।

भारत में किसी के द्वारा या उसके अधीन गठित प्राधिकरण का निर्धारिती

या तो उससे निपटने के उद्देश्य से अधिनियमित कानून और

आवास की आवश्यकता को पूरा करने या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से, या दोनों के लिए,

ऐसे निर्धारिती की कुल आय।

13.4 ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2003 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

49. धारा 10 (20ए) को हटाने के बाद केवल वह प्रावधान जिसके तहत कोई निकाय या प्राधिकरण छूट का दावा कर सकता है, वह धारा 10 (20) है। स्थानीय प्राधिकरण को धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण में पूरी तरह से परिभाषित किया गया है, एक इकाई को छूट का दावा करने के लिए धारा 10 (20) के तहत आना पड़ता है। यह भी ध्यान रखना उपयोगी है कि इस न्यायालय ने गुजरात राज्य और अन्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड और एक अन्य, 2012 (3) एस. सी. सी. 522 में निर्धारित किया है कि कोई व्यक्ति उसे कर से मुक्त करने के लिए एक अपवाद या छूट प्रावधान का आह्वान करता है। दायित्व को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि वह उक्त प्रावधान के दायरे में आता है। पैराग्राफ 88 निकालना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

" 88. नोवोपान मामला, 1994 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 606 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सिद्धांत कि अस्पष्टता के मामले में, एक कराधान क़ानून का अर्थ निर्धारिती के पक्ष में लगाया जाना चाहिए, एक अपवाद या छूट देने वाले प्रावधान के निर्माण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि एक अपवाद या छूट का आह्वान करने वाला व्यक्ति डब्ल्यू ओ. के. एच. एल. ए. औद्योगिक विकास प्राधिकरण v.

उसे कर देयता से मुक्त करने के लिए प्रावधान स्थापित किया जाना चाहिए।

स्पष्ट रूप से कि वह उक्त प्रावधान के अंतर्गत आता है और

संदेह या अस्पष्टता, इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए।

50. एस में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण की व्याख्या करने के लिए। सुंदरम I और अन्य बनाम वी. आर. पट्टाबीरमन और अन्य, 1985 (1) एस. सी. सी. पैराग्राफ 47 और 53 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" 47. विधान और व्याख्या में स्वरूप बहुत उपयुक्त रूप से जोड़ता है

किसी स्पष्टीकरण के दायरे और प्रभाव को इस प्रकार बढ़ाएँ:

" कभी-कभी एक स्पष्टीकरण एक पर जोर देने के लिए जोड़ा जाता है

विशेष चीज जो आम तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है धारा के प्रावधानों से। एक का उचित कार्य

व्याख्या यह स्पष्ट या स्पष्ट करने के लिए है कि क्या अधिनियमित किया गया है

मूल प्रावधान और इससे जोड़ना या घटाना नहीं।

इस प्रकार एक स्पष्टीकरण या तो प्रतिबंधित या विस्तारित नहीं करता है

भाग को लागू करना; यह दायरे को बड़ा या संकुचित नहीं करता है

मूल खंड की जिसे यह समझाने वाला है। द.

स्पष्टीकरण की व्याख्या उसकी अपनी अवधि के अनुसार की जानी चाहिए।

कि यह समझाने के लिए है और इसके विपरीत नहीं। " (पीपी। 297-98)

53. इस प्रकार, निर्दिष्ट अधिकारियों के एक पर्यवेक्षक से

ऊपर, यह स्पष्ट है कि एक स्पष्टीकरण का उद्देश्य

वैधानिक प्रावधान है

" (क) स्वयं अधिनियम के अर्थ और आशय की व्याख्या करना,

(बी) जहां मुख्य में कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता है

अधिनियमन, उसी को स्पष्ट करने के लिए ताकि इसे उस प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके जिसे वह कम करता प्रतीत होता है,

(ग) के प्रमुख उद्देश्य को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने के लिए

इसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कार्य करें,

(घ) स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार से अधिनियम या उसके किसी भाग में हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन जहां कुछ अंतराल बचा है जो स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, ताकि शरारत को दबाया जा सके और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।

अधिनियमन का आशय, और (ङ) तथापि, यह उस वैधानिक अधिकार को छीन नहीं सकता है जिसके साथ किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति को [2018] 7 एस. सी. आर. पहना गया है या शून्य कर दिया गया है।

व्याख्या में बाधा बन कर किसी अधिनियम का कार्यकरण

उसी से "।

51. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास में यह न्यायालय

वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20) और धारा 10 (20ए) को हटाने के परिणामों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण (उपर्युक्त) ने पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित निर्धारित किया है:

" 13. उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करना

यह स्पष्ट है कि धारा 10 (20-ए) द्वारा प्रदत्त लाभ

आय कर अधिनियम, 1961 में निर्धारिती के बारे में कहा गया है -

स्पष्ट रूप से ले जाया गया। इसके अलावा, स्पष्टीकरण में जोड़ा गया है

धारा 10 (20) में "स्थानीय अधिकारियों" की गणना की गई है जो

इसमें निर्धारिती को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, हम कोई नहीं पाते हैं निर्धारिती की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण में योग्यता।

" }

52. यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुजरात औद्योगिक मामले में यह न्यायालय

विकास निगम बनाम। आयकर आयुक्त, 1997 (7) एस. सी. सी. 17 ने आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20ए) के प्रावधानों पर विचार करने के बाद कहा कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम धारा 10 (20ए) के तहत छूट का हकदार है। गुजरात औद्योगिक विकास निगम को उस समय धारा 10 (20ए) के तहत छूट का हकदार माना गया था जब प्रावधान क़ानून की किताब में मौजूद था और क़ानून की किताब से इसे हटाने के बाद छूट अब उपलब्ध नहीं है। अब, वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20) पर वापस आते हुए, यह भी विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए आया है। कृषि उत्पादन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

मंडी समिति बनाम भारतीय संघ और एक अन्य, (2004) 267 आई. टी. आर. 460 ने निम्नलिखित कहा:

" धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण का एक खाली अवलोकन दर्शाता है

कि अब केवल चार संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण हैं

धारा 10 (20), अर्थात् (i) पंचायत, (ii) नगरपालिका; ((iii) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड; (iv) छावनी

बोर्ड कृषि उत्पादन मंडी समिति एक संस्था नहीं है

धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 10 (20) का स्पष्टीकरण उपयोग करता है

शब्द 'का अर्थ है' और शब्द 'शामिल' नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है।

इस न्यायालय के लिए स्थानीय की परिभाषा का विस्तार करना संभव है।

धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण में निहित प्राधिकरण, पी. कासिलिंगम बनाम।

पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ए. आई. आर. 1995 डब्ल्यू. ओ. के. एच. एल. ए. औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम। आई. ई. एफ. कम. एन. आर. आय कर [अशोक भूषण, जे.]

एससी 1395 (पैरा 19)। अन्य अधिनियमों में परिभाषाओं का उल्लेख करना भी संभव नहीं है, जैसा कि आई. टी. अधिनियम अब विशेष रूप से परिभाषित करता है।

' स्थानीय प्राधिकरण '।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कर मामलों में शाब्दिक नियम व्याख्या लागू होती है और यह न्यायालय के लिए विस्तार करने के लिए खुला नहीं है

समानता पर भरोसा करके अधिनियम में किसी प्रावधान की भाषा,

अनुमान, आदि।

यह व्याख्या का पहला सिद्धांत है कि एक क़ानून को उसके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थों में पढ़ा जाना चाहिए

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

" एक सांविधिक प्रावधान के अर्थ में निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम साहित्यिक निर्माण है। न्यायालय को शुरू में ही यह देखना होगा कि प्रावधान क्या कहता है। यदि प्रावधान स्पष्ट है और यदि प्रावधान से विधायी इरादा स्पष्ट है, तो न्यायालय को कानूनों के निर्माण के अन्य नियमों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण के अन्य नियमों को केवल तभी सहायता के लिए बुलाया जाता है जब विधायी इरादा स्पष्ट नहीं होता है "हीरालाल रतनलाल बनाम। एस. टी. ओ., ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1034 "

53. दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कृषि उत्पाद बाजार समिति बनाम आय-कर आयुक्त,

) 156 आई. टी. आर. 286 के पास धारा 10 (20) को संशोधित 01.04.2003 के रूप में विचार करने का अवसर था, जहाँ उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में कहा है:

" 8. व्याख्या की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह "स्थानीय प्राधिकरण" अभिव्यक्ति को एक संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। स्पष्टीकरण में प्रयुक्त "अर्थ" शब्द स्पष्टीकरण में सूचीबद्ध लोगों के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में किसी अन्य इकाई को जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। दूसरे शब्दों में, भले ही एक इकाई के उद्देश्यों के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण का गठन करता है

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 या किसी अन्य प्रयोजनों के लिए

उस मामले के लिए अधिनियमन, यह अधिनियम की धारा 10 (20) के प्रयोजनों के लिए इस तरह से नहीं समझा जाएगा जब तक कि यह जवाब नहीं देता

में सूचीबद्ध उन संस्थाओं में से एक का विवरण स्पष्टीकरण। श्रीमती अहलावत ने अपने मामले को स्पष्टीकरण के खंड (i), (ii) और (iv) के तहत लाने का कोई प्रयास नहीं किया और हमारी राय में ठीक है क्योंकि अपीलकर्ता समिति [2018] 7 एस. सी. आर.

तर्क की किसी भी प्रक्रिया से इसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता है -

कला के खंड (घ) में निर्दिष्ट पंचायत। 243 भारत के संविधान के अनुच्छेद (ई) के संदर्भ में एक नगरपालिका। 243 भारत के संविधान का पी या छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 के तहत परिभाषित छावनी बोर्ड। उन्होंने जो तर्क दिया वह यह था कि अपीलकर्ता समिति को दिए गए कार्यों की प्रकृति को देखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि -

स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक नगरपालिका समिति हो। हम अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं

उस निवेदन को स्वीकार करें। हम ऐसा दो अलग-अलग कारणों से कहते हैं। सबसे पहले क्योंकि "नगरपालिका समिति" शब्द एक कर कानून में दिखाई देता है और इसलिए, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक लंबी कतार द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक कर कानून की व्याख्या करते समय, किसी को केवल यह देखना होगा कि उसमें क्या स्पष्ट रूप से कहा गया है। राजकोषीय कानूनों में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है और न ही इसके तहत स्वीकृत लेवी के बारे में कोई इक्विटी है। केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम से निम्नलिखित मार्ग। आई. आर. सी 1921

(1) सर्वोच्च न्यायालय ने के. बी. 64 को मंजूरी दे दी है।

उनके प्रभुओं द्वारा लिए गए निर्णय।

" एक कराधान अधिनियम में केवल उस पर ध्यान देना होता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है। कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। कर के बारे में कोई अनुमान नहीं है। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी निहित नहीं है, एक कर सकता है

केवल प्रयोग की गई भाषा को निष्पक्ष रूप से देखें। '

54. हम उपरोक्त दो निर्णयों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचारों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। 55. अब, धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण पर वापस लौटते हुए, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका अर्थ स्थानीय प्राधिकरण है। अपीलार्थी का निवेदन यह है कि अपीलार्थी स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अंतर्गत आता है। नगरपालिका जैसा कि अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट है

संविधान "। हम उपरोक्त प्रावधानों पर चर्चा करते हुए पहले ही यह मान चुके हैं कि अपीलार्थी अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में "नगरपालिका" के शब्द/अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकार, अपीलार्थी स्पष्ट रूप से नहीं है

स्पष्टीकरण के उपखंड (ii) में शामिल। यह अपीलार्थी का मामला भी नहीं है कि अपीलार्थी खंड (ii) को छोड़कर धारा 10 (20) के दायरे में आता है।

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

v. मुख्य आयुक्त। आय कर [अशोक भूषण, जे.]

56. इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी 'क' धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण में निहित स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

57. ऊपर जो कहा गया है, उसे देखते हुए हम इन्हें खारिज करते हैं।

अपीलें करें।

अंकित ज्ञान